

अतिआवश्यक
आज ही

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/सम्पदा/16/73/विधि/स्थायी बिन्दु/ 1564
पति

भोपाल, दिनांक 27/10/2023

- 1- संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय,(समस्त)
- 2- सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति(समस्त)
जिला-(समस्त)

विषय- लीज अवधि समाप्त होने/लीज नवीनीकरण के लंबित/विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख 6 कि.अ.के.के.समाप्त अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में नई मंडी स्थानांतरण के उपरांत होने वाले नीलामी, लीज अवधि समाप्त होने/लीज नवीनीकरण के लंबित/विचाराधीन प्रकरणों पर निम्नानुसार बिन्दुओं की जानकारी तत्काल उपलब्ध करावे :-

- 1- नवीन/पुरानी अधिसूचित मंडियों के नवीन प्रांगणों में स्थानांतरण के बाद कितने प्रकरणों में नीलामी विफल रही तथा व्यापारियों ने नीलामी में भाग नहीं लिया, की जानकारी।
- 2- 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कितनी मंडियों में लीज को लायसेंस में परिवर्तित कर व्यापारियों द्वारा मान. न्यायालय में लिये गये स्टे की जानकारी।
- 3- 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कितनी मंडियों में लीज समाप्त होने के उपरांत नवीनीकरण के स्थान पर किये गये नवीन आवंटन की जानकारी।

उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र में ई-मेल ddrshmpsamb@gmail.com पर मंगल फोन्ट-साफ्ट कापी उपलब्ध करावे।

नोट- कृपया आपके अधीनस्थ 10 मंडियों की उपरोक्त जानकारी आज ही प्रेषित करे।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा आदेशित)

संलग्न- प्रपत्र


उप संचालक(प्रांगण/संपदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

- 1- नवीन अधिसूचित मंडियों के नवीन प्रांगणों में स्थातांतरण के बाद कितनी मंडियाँ में नीलामी विफल रही तथा व्यापारियों ने नीलामी में भाग नहीं लिया, की जानकारी।

क्र.	जिले का नाम	मंडी का नाम	नवीन मंडी प्रांगण में स्थातांतरण का दिनांक	भूमि/संरचना का नाम एवं साईज	स्थातांतरण के बाद निष्फल नीलामी की प्रक्रिया द्वारा व्यापारियों	स्थातांतरण के बाद नीलामी में भाग नहीं लिया जाने वाले प्रकरणों की संख्या	रिमांक
योग							

- 2- 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कितनी मंडियाँ में लीज को लायसेंस में परिवर्तित कर व्यापारियों द्वारा स्टे लिया गया, की जानकारी। मान, न्यायालय की स्थगन प्रति

क्र.	जिले का नाम	मंडी का नाम	भूमि/संरचना का नाम एवं साईज	30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने वाले प्रकरण	30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लीज को लायसेंस में परिवर्तित कर व्यापारियों द्वारा स्टे लिया गया की जानकारी	लायसेंस में परिवर्तित कर व्यापारियों द्वारा स्टे लिया गया की जानकारी (मान, न्यायालय की स्थगन प्रति सहित)	रिमांक
योग							

- 3- 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कितनी मंडियों में लीज समाप्त होने के उपरान्त नवीनीकरण के स्थान पर नवीन आवंटन किया गया, की जानकारी।

क्र.	जिले का नाम	मंडी का नाम	भूमि/संरचना का नाम एवं साईज	30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने वाले प्रकरण	30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नवीनीकरण के स्थान पर किये गये नवीन आवंटन	रिमांक
योग						

संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय-----

- 1- नवीन अधिसूचित मंडियों के नवीन प्रांगण में स्थानांतरण के बाद कितने प्रकरणों में नीलामी विफल रही तथा व्यापारियों ने नीलामी में भाग नहीं लिया, की जानकारी।

क्र.	जिले का नाम	मंडी का नाम	नवीन मंडी प्रांगण में स्थानांतरण का दिनांक	भूमि/ संरचना का नाम एवं साईज	स्थानांतरण के बाद विफल नीलामी की प्रकरणवार जानकारी	स्थानांतरण के बाद नीलामी में भाग नहीं लिये जाने वाले की प्रकरणों की जानकारी	रिमार्क
योग-							

- 2- 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कितनी मंडियों में लीज को लायसेंस में परिवर्तित कर व्यापारियों द्वारा स्टे लिया गया, की जानकारी। मान. न्यायालय की स्थगन प्रति।

क्र.	जिले का नाम	मंडी का नाम	भूमि/ संरचना का नाम एवं साईज	30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने वाले प्रकरण	30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लीज को लायसेंस में परिवर्तित की जानकारी	लायसेंस में परिवर्तित कर व्यापारियों द्वारा स्टे लिया गया की जानकारी (मान. न्यायालय की स्थगन प्रति सहित)	रिमार्क
योग-							

- 3- 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कितनी मंडियों में लीज समाप्त होने के उपरांत नवीनीकरण के स्थान पर नवीन आवंटन किया गया, की जानकारी।

क्र.	जिले का नाम	मंडी का नाम	भूमि/ संरचना का नाम एवं साईज	30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने वाले प्रकरण	30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नवीनीकरण के स्थान पर किये गये नवीन आवंटन	रिमार्क
योग-						

संयुक्त / उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय -